रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4160] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940
No. 4160] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5365(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'केरल खेल-कूद अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम 2) की धारा 9 के तहत गठित निकाय 'कोजीकोड जिला खेलकूद परिषद् , कोजीकोड, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतदद्वारा अधिसूचित करती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(क) सरकार और राज्य खेल-कूद परिषद् से अनुदान;

(ख) कोइलन्डी स्टेडियम और वीकेके मेन्डोन इन्डोर स्टेडियम में स्थित स्टेडियम और शॉप रूम से एकत्रित किराया;

(ग) उपर्युक्त(क) और(ख) से अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'कोजीकोड जिला खेलकूद परिषद्, कोजीकोड—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 68 /2018/ फा. सं. 300196/01/2016-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापनः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।